(लोक सभा द्वारा 6.3.2020 को पारित रूप में)

2020 का विधेयक संख्यांक 60-सी

[दि मिनीरल लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2020 का हिन्दी अनुवाद]

खनिज विधि (संशोधन) विधेयक, 2020

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने के लिए तथा कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 का संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और प्रवर्तन ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम खनिज विधि (संशोधन) अधिनियम, 2020 है ।

(2) यह 10 जनवरी, 2020 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

(3) इस अधिनियम द्वारा किए गए संशोधनों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह राष्ट्रपति के अनुमति की तारीख से साठ दिन की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा और उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् निरसित हुआ समझा जाएगा ।

अध्याय 2

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 का संशोधन

नई धारा 4ख का अंतःस्थापन ।

2. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 4क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— 1957 का 67

उत्पादन में दक्षता हेतु शर्तें ।

"4ख. धारा 4क में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार देश में खनिजों का अविरत उत्पादन बनाए रखने के हित में ऐसी शर्तें विहित कर सकेगी जो ऐसे खनन पट्टा धारकों द्वारा, जिन्होंने धारा 8ख के अधीन अधिकार, अनुमोदन, अनापत्ति इत्यादि अर्जित किए हैं, उत्पादन प्रारंभ करने और जारी रखने के लिए समीचीन हों ।"।

धारा 5 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन प्रथम अनुसूची के भाग क में विनिर्दिष्ट खनिजों की बाबत भूमिक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे अनुदत्त करने के लिए वहां अपेक्षित नहीं होगा, —

(i) जहां कोई आबंटन आदेश धारा 11क के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किया गया है ; या

(ii) जहां किसी क्षेत्र के आरक्षण की कोई अधिसूचना केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा धारा 17क की उपधारा (1क) या उपधारा (2) के अधीन जारी की गई है ; या

(iii) जहां कोई निधान आदेश या कोई आबंटन आदेश केन्द्रीय सरकार द्वारा कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के उपबंधों के अधीन जारी किया गया है ।"। 2015 का 11

धारा 8क का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 8क की उपधारा (4) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, पट्टा कालावधि के अवसान के पूर्व खनन पट्टे की नीलामी के लिए अग्रिम कार्रवाई करने से राज्य सरकारों को निवारित नहीं करेगी ।"।

नई धारा 8ख का अंतःस्थापन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 8क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कानूनी अनापत्तियों के अंतरण के लिए उपबंध ।

"8ख. (1) इस धारा के उपबंध प्रथम अनुसूची के भाग क और भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिजों से भिन्न, खनिजों को लागू होंगे ।

(2) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 8क की उपधारा (5) और उपधारा (6) के उपबंधों के अधीन अवसान होने वाले खनन पट्टों के सफल बोली लगाने वाले और इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार नीलामी के माध्यम से चयनित बोली लगाने वाले में सभी विधिमान्य अधिकार, अनुमोदन, अनापत्ति, अनुज्ञप्ति दो वर्ष की कालावधि के लिए वैसे ही निहित समझे

जाएंगे जैसे पूर्व पट्टाधारी में थे :

परंतु ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो विहित की जाएं, ऐसा नया पट्टाधारी ऐसा नया पट्टा अनुदत्त करने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के भीतर सभी आवश्यक अधिकार, अनुमोदन, अनापत्ति, अनुज्ञप्ति वैसे ही आवेदन करेगा और प्राप्त करेगा ।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नया पट्टा प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि तक, नए पट्टाधारी के लिए ऐसी भूमि पर खनन संक्रियाएं जारी रखना विधिपूर्ण होगा जिस पर पूर्व पट्टाधारी खनन संक्रियाएं कर रहा था ।"।

धारा 10ग का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 10ग की उपधारा (2) में, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु गैर-समाविष्ट भूमिक्षण अनुज्ञापत्र धारक, गहराई में स्थित खनिजों या ऐसे खनिजों के संबंध में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, विहित स्तर पर खोज करता है, राज्य सरकार को धारा 11 के अधीन अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा या धारा 10ख के अधीन अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कोई खनन पट्टा अनुदत्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा, केन्द्रीय सरकार ऐसे खनिजों के भूमिक्षण और पूर्वेक्षण संक्रियाओं की बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए ऐसी प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत धारकों के चयन के लिए बोली लगाने के मापदंड भी हैं, विहित करेगी ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "गहराई में स्थित खनिजों" से ऐसे खनिज जो ऐसी भूमि की सतह, खराब सतह अभिव्यक्तियों वाली, तीन सौ मीटर से अधिक की गहराई पर हों, अभिप्रेत हैं ।"।

धारा 11क का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 11क में,—

(i) पार्श्वशीर्ष में "या खनन पट्टा" शब्दों के पश्चात् "या कोयला या लिग्नाइट के संबंध में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

(ii) उपधारा (1) में,—

(क) आरंभिक भाग में "किसी क्षेत्र के संबंध में जिसमें कोयला या लिग्नाइट अंतर्विष्ट है" शब्दों के स्थान पर "या कोयला या लिग्नाइट के संबंध में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) दीर्घ पंक्ति के स्थान पर, निम्नलिखित दीर्घ पंक्ति रखी जाएगी, अर्थात् :—

"कोयला या लिग्नाइट भूमिक्षण या पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाओं का घरेलू उपभोग, विक्रय या अन्य किसी प्रयोजन के लिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए ।";

(ग) निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु इस धारा के अधीन प्रतिस्पर्धी बोली के द्वारा नीलामी कोयला या लिग्नाइट को लागू नहीं होगी—

(क) जहां ऐसे क्षेत्र पर किसी सरकारी कंपनी या निगम या यथास्थिति, ऐसी कंपनी या निगम द्वारा या केन्द्रीय सरकार या

राज्य सरकार के बीच बनाई गई किसी सह-उद्यम कंपनी को घरेलू उपभोग, विक्रय या अन्य किसी प्रयोजन के लिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किया जाए, आबंटित करने के लिए विचार किया जाता है ;

(ख) जहां ऐसे क्षेत्र पर किसी कंपनी या निगम को, जिसे टैरिफ के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर कोई विद्युत परियोजना (जिसके अंतर्गत अति बृहत विद्युत परियोजनाएं भी हैं) मंजूर की गई है, आबंटित करने के लिए विचार किया जाता है ।" ;

(iii) उपधारा (3) में,—

(क) "खनन पट्टा" शब्दों के पश्चात् "पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) "प्रतिस्पर्धी बोली या अन्यथा" शब्दों के स्थान पर "प्रतिस्पर्धी बोली या आबंटन के माध्यम से" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 13 का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(कक) धारा 4ख के अधीन खनन पट्टे के धारकों द्वारा उत्पादन को आरंभ करने और जारी रखने के लिए ऐसी शर्तें जो आवश्यक हों ;

(कख) धारा 8ख की उपधारा (2) के परंतुक के अधीन सभी आवश्यक अधिकारों, अनुमोदनों, अनापत्तियों, अनुज्ञप्तियों और वैसी अभिप्राप्त करने के लिए नया पट्टाकर्ता द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें;

(कग) धारा 10ग की उपधारा (2) के परंतुक के अधीन गहराई में छिपे खनिज या ऐसे खनिज और प्रक्रिया की बाबत खोज का विस्तार करना है जिसके अंतर्गत धारकों के चयन के लिए बोली लगाने के लिए पैरामीटर भी हैं ;" ;

(ii) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(घ) कोयला या लिग्नाइट की बाबत प्रतिस्पर्धी बोली और नीलामी द्वारा निबंधन, शर्तें और नीलामी की प्रक्रिया ;

(घक) कोयला या लिग्नाइट की बाबत भूमिक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, खनन पट्टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा ;

(घख) खानों और उसके अवस्थानों के ब्योरे, ऐसी खानों का न्यूनतम आकार और ऐसी अन्य शर्तें जो कोयला या लिग्नाइट भूमिक्षण, पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाओं के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो;

(घग) कोयला या लिग्नाइट की उपयोगिता जिसके अंतर्गत किसी कंपनी द्वारा विक्रय के लिए खनन भी है ;" ।

धारा 17क का संशोधन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 17क की उपधारा (2क) के परंतुक में "भाग क और" शब्दों और अक्षरों का लोप किया जाएगा ।

अध्याय 3

कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 का संशोधन

2015 का 11

धारा 4 का संशोधन ।

10. कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 में,—

(i) उपधारा (2) में,—

(क) आरंभिक भाग में, "ऐसे क्षेत्र की बाबत, जिसमें कोयला हो", शब्दों के स्थान पर "कोयला की बाबत पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा या" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) दीर्घ पंक्ति के स्थान पर निम्नलिखित दीर्घ पंक्ति रखी जाएगी, अर्थात् :—

"कोयला भूमिक्षण या पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाएं स्वयं के उपभोग, विक्रय के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए जो केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए और राज्य सरकार द्वारा ऐसी कंपनी को जो इस धारा के अधीन प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा नीलामी के माध्यम से स्वयं के लिए चयन किया जाए, अनुसूची 1 के ऐसे कोयला खान की बाबत जिसमें कोयला हो ऐसा भूमिक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, खनन पट्टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा भी मंजूर करेगी ।";

(ii) उपधारा (3) का लोप किया जाएगा ।

धारा 5 का संशोधन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में,—

(i) "उपधारा (1) और उपधारा (3)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "उपधारा (1) और उपधारा (2)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) "किसी ऐसे क्षेत्र की बाबत, जिसमें कोयला हो, खनन पट्टा" शब्दों के स्थान पर "ऐसी अनुसूची 1 की कोयला खान की बाबत खनन पट्टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(iii) पहले परंतुक में, "यथास्थिति, अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के अनुसार" शब्दों के स्थान पर "जो केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित किया जाए" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 8 का संशोधन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 8 में,—

(i) उपधारा (4) के खंड (ख) में "खनन पट्टे" शब्दों के स्थान पर "यथास्थिति, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, खनन पट्टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (8) में "पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा" शब्दों के स्थान पर "पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, खनन पट्टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उपधारा (9) में "पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा" शब्दों के स्थान पर "पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, खनन पट्टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा" शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) उपधारा (12) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(13) उस रीति में, जो विहित की जाए, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निधान आदेश या आबंटन आदेश को समाप्त किया जा सकता है ।

(14) निधान आदेश या आबंटन आदेश की समाप्ति पर, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी धारा 4 के अधीन कोयला खान की नीलामी कर सकता है या धारा 5 के अधीन कोयला खान का आबंटन कर सकता है जो केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित किया जा सके ।

(15) कोयला खान के ऐसे सफल बोली लगाने वाला या आबंटिती जिनका निधान आदेश या आबंटन आदेश समाप्त हो गया है उक्त कोयला खान के तुरंत अगली नीलामी या आबंटन के प्रयोजन के लिए पूर्विक आबंटिती समझा जाएगा ।"।

धारा 9 का संशोधन ।

13. मूल अधिनियम की धारा 9 में,—

(i) आरंभिक भाग में "अनुसूची 1 कोयला खान के संबंध में भूमि" शब्द से आरंभ होने वाले और "संवितरित किए जाएंगे" शब्दों से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"कोयला खान के संबंध में अनुसूची 1 जो धारा 16 के अनुसार मूल्यवान है भूमि और खान अवसंरचना के लिए प्रतिकर, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के साथ सफल बोली लगाने वाला या आबंटिती द्वारा जमा किया जाएगा और अन्य बातों के साथ सुसंगत विधियों और ऐसे नियमों के अनुसार, जो विहित किए जाएं संदायों की निम्नलिखित पूर्विकता बनाए रखते हुए संवितरित किए जाएंगे ।";

(ii) खंड (ख) में "संदेय प्रतिकर" शब्दों के स्थान पर "संदेय रकम" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 18 का संशोधन ।

14. मूल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) में, "अनुसूची 1 कोयला खानों की नीलामी या आबंटन पूरा नहीं होता है" शब्दों और अंकों के स्थान पर "अनुसूची 2 कोयला खानों का आबंटन पूरा नहीं होता है, या इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया निधान आदेश या आबंटन आदेश उत्पादन के अधीन कोयला खान के मामले में समाप्त हो गया हो" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

धारा 20 का संशोधन ।

15. मूल अधिनियम की धारा 20 में,—

(i) उपधारा (1) में "सफल बोली लगाने वाला या आबंटिती या कोयला अनुबंध धारक" शब्दों के स्थान पर "सफल बोली लगाने वाला या आबंटिती" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) सफल बोली लगाने वाला या आबंटिती, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, किसी विशिष्ट अनुसूची 1 कोयला खान से वैसे ही विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोग में लगे उसके किन्हीं संयंत्रों या उसके समनुषंगी संयंत्रों या नियंत्री कंपनी के लिए भी कोयला, खान का उपयोग कर सकेगा ।" ।

धारा 31 का संशोधन ।

16. मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (ख) में "पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा" शब्दों के स्थान पर "पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, खनन पट्टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ठ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ठक) धारा 8 की उपधारा (13) के अधीन निधान आदेश या आबंटन आदेश की समाप्ति की रीति ;"।

2020 का अध्यादेश सं० 1

5

17. (1) खनिज विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को निरसित किया जाता है ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

(2) मूल अधिनियम के अधीन ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा संशोधन किया गया है, की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन, जिसे इस अधिनियम द्वारा संशोधन किया गया है, की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी ।

MGIPMRND—5734LS(CRC)—6-3-2020.